...व्यस्त होने से पत्रावली दि. _____ को पेश हो।
29/5/17

पक्षकारान उभ./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उभ./अनु./पत्रावली लोक अदालत मे पेश हुयी। पक्षकारान मे समझाईश की गयी। परन्तु राजीनामा नही हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जाये। पत्रावली दिनांक 16/8/17 को पेश हो।

बाबूलाल फरिकैन हाजिर/P.O. साहब अन्य कार्यो में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24/11/17 को पेश हो।

बाबूलाल फरिकैन हाजिर/ पी.ओ. साहब अन्यकार्यो से व्यस्त न्यायालय पधारे है अतः पत्रावली दिनांक 30/11/18 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर होने के पत्रावली दिनांक 30/4/18 को पेश हो।

पत्रावली पेशी से गिरदा आज राजस्व लोक अदालत कैम्प रणोदर में उपस्थित। वादी के उपस्थित होकर प्रकरण उपस्थित का निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण में अपील में राजीनामा हो गया था अतः वाद को मैं न्यायालय में आगे नही चलाना चाहता हूं। अतः समझौता फरमावें। वादी की पहचान सरपंच एवं पटवारी रणोदर ने की। अतः वादी का वाद पत्रिले विड्रो के खारीज किया जाता है। पत्रावली कैलेन्डर होकर दाखिल दफ्तर हो।

18/6/18

मगाराम
पं. रणोदर

देवी बाई
सरपंच
ग्राम पंचायत रणोदर
चितलवाना (जालोर)
18-06-018